

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ०एफ०पी० भवन, एच.ई.सी. परिसर, धुर्वा, राँची।

पत्रांक-परि०आ०-465/2017

राँची, दिनांक -

प्रेषक,

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड।

विषय : M/s Prag Motors द्वारा नव निर्मित वाहनों के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक M/s Prag Motors द्वारा निम्नलिखित नवनिर्मित वाहन झारखण्ड राज्य में निबंधन के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत Central Institute of Road Transport, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का झारखण्ड राज्य में निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -

Sl.	Base Model	Type of Vehicle
1.	Atlas 1000	E-Rickshaw
2.	Jaguar 1000	E-Rickshaw
3.	Bully 1000	E-Rickshaw
4.	Sultan 1000	E-Rickshaw
5.	Hippo 1000	E-Cart
6.	Chhota Hathi	E-Cart

- कम्पनी द्वारा प्रस्तुत Central Institute of Road Transport, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नवनिर्मित वाहन की जाँच के पश्चात् निबंधन/फिटनेस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 127 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम 93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्दीनेश प्रमाण पत्र मोटरवाहन नियमावली के नियम के अनुपालन प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर विक्रेता के पंजी की जाँच करेंगे।
- CIRT, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

राँची, दिनांक - 12/9/17

ज्ञापांक- परि०आ०-465/2017 1268

प्रतिलिपि : सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड एवं M/s Prag Motors, 193, G.T. Road (N) Salkia, Block Municipality, Howrah, West Bengal-711 106 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक-परि०आ०-220/2016

सेवा में,

932

..... राँची, दिनांक 08/9/16

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।

सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड ।

विषय:- M/s PRAG MOTORS द्वारा नव निर्मित वाहनों निबंधन के संबंध में
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s PRAG MOTORS द्वारा नव निर्मित वाहन मॉडल- PRAG(E-Rickshaw) को झारखण्ड राज्य में निबंधन के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत International Centre for Automotive Technology, Haryana प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर झारखण्ड राज्य में निबंधन की स्वीकृति दी जाती है।

2. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत International Centre for Automotive Technology, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नवनिर्मित वाहन की जाँच के पश्चात् निबंधन/फिटनेस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
3. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 127 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम 93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा ।
4. वाहन प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
5. इसके साथ रोड वर्दीनेश प्रमाण पत्र मोटरवाहन नियमावली के नियम के अनुपालन प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा ।
6. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा ।
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर विक्रेता के पंजी की जाँच करेंगे।

विश्वासभाजन


08-09-2016
संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड सरकार
परिवहन आयुक्त कार्यालय
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

पत्रांक-परि०आ०-220/2016

..... /राँची, दिनांक-

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड ।

सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड ।

विषय:- M/s PRAG MOTORS द्वारा नव निर्मित वाहनों निबंधन के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s PRAG MOTORS द्वारा नव निर्मित वाहन मॉडल- PRAG(E-Rickshaw) को झारखण्ड राज्य में निबंधन के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 126 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत International Centre for Automotive Technology, Haryana प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर झारखण्ड राज्य में निबंधन की स्वीकृति दी जाती है।

2. कम्पनी द्वारा प्रस्तुत International Centre for Automotive Technology, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, नवनिर्मित वाहन की जाँच के पश्चात् निबंधन/फिटनेस करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
3. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 127 के अन्तर्गत प्रपत्र 22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम 93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा ।
4. वाहन प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
5. इसके साथ रोड वर्डिनेश प्रमाण पत्र मोटरवाहन नियमावली के नियम के अनुपालन प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा ।
6. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन अधोहस्ताक्षरी के आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा ।
7. जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर विक्रेता के पंजी की जाँच करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त परिवहन आयुक्त

झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक- परि०आ०-220/2016 932

/राँची, दिनांक- 08/9/16

प्रतिलिपि - सभी उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड एवं M/s PRAG MOTORS, C/o- Sova Chemicals Co., Room #908, 9th Floor, 4 Synagogue Street, Kolkata - 700001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


68-89-2516
संयुक्त परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची ।